राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आदेश ::

S.B. Criminal Misc. Bail Applicaton No. 3484/2020

Dalbeer S/o Ramdhan B/c Gurjar, Aged About 38 Years, R/o Kathwadi Ps Manpur Dist. Dausa Raj. (At Present Petitioner Is Confined In Central Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री अभय चतुर्वेदी

प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम शर्मा जरिए वीडियो कांफ्रेंस।
लोक अभियोजक श्री फतेह राम मीणा।

:: आदेश दिनांक :: 29.04.2020

न्यायालय द्वारा :

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के तर्क सुने गये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत मोटरसाईकिल महाराज सिंह से जरिए इकरारनामा दिनांकित 17.8.2013 के खरीद की गयी थी तथा प्रार्थी की जानकारी में नहीं था कि उक्त मोटरसाईकिल चोरी की है। प्रार्थी दिनांक 1.3.2020 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी कथन रहा कि प्रार्थी के विरुद्ध इसी प्रकार का अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्कों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों की रोशनी में प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दलबीर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी **पुलिस थाना खेरली, अलवर** में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट **संख्या 256/2009** के मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस

हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(अभय चतुर्वेदी)
न्यायाधिपति

एन शर्मा–21